भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1302
30 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: दालों के मुक्त आयात का प्रभाव:

1302 श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:
श्री राजमणि पटेल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मंत्रालय ने दालों के मुक्त आयात की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप स्थानीय किसानों के लिए कीमतों में कमी के प्रतिकूल प्रभावों का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय ने किसानों द्वारा बोई जा रही मात्रा पर दालों की गिरती कीमतों के प्रभाव का आकलन किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ड.) क्या मंत्रालय ने उन व्यापारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है जिन्होंने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमतों पर अनाज खरीदा और उनका भंडारण किया है, और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) और (ख): दलहन की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और इसके आयात के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए दिनांक 15 मई, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 की सीमित अवधि के लिए तूर, उड़द, और मूंग को प्रतिबंधित श्रेणी से मुक्त श्रेणी में परिवर्तित करके आयात नीति में बदलाव किए गए हैं। फसल-मौसम 2021-22 के लिए तूर, मूंग और उड़द जैसी दलहनों की एमएसपी क्रमश: 6300/- रू., 7275/- रू. और 6300/- रू. प्रति क्विंटल तय की गई है। पिछले दो महीनों के दौरान चना, तूर, उड़द और मूंग आदि के थोक मूल्यों में उतार-चढ़ाव देखा गया है लेकिन कुल मिलाकर इन दलहनों के मूल्य एमएसपी की तुलना में उच्च दर पर रहे हैं।

(ग) और (घ) : इन दलहनों की बुवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। 2019-20 में बुवाई के अंतर्गत आने वाला अनुमानित क्षेत्र 13646.32 हजार हेक्टेयर था जबकि 2020-21 मंे यह 13755.61 हजार हेक्टेयर था।

(ड.) और (च): किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए दलहन के आयात की अनुमति दी जाती है और कुल उपलब्धता व मूल्यों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयात की मात्रा निर्धारित की जाती है। उक्त प्रभाव का ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

*****